

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ ( राज.)

बनाम.....

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर.....

217/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18 <sup>5</sup> / <sub>2022</sub>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>रतनदास शोभादास देव्यार २१० शिरोदिपो का सावंत</u>  <u>मांजीबाई बाबाजी अहीर, शेतापण्डा पिता बाबाजी अहीर</u>  <u>पिता श्री</u></p> <p>निवासी- <u>पुरोहितों का सावंत</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम .....  <u>शिरोदिपो का सावंत</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर. 128, 136 से 143</p> <p>कुल कीता <u>9</u> कुल रकबा <u>2.9500</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>शिरोदिपो का सावंत</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>128, 136 से 143</u></p> <p>कुल कीता <u>9</u> रकबा <u>2.9500</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500 = 07</u> रुपये अक्षर <u>एक हजार पान्च सौ रूपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(श्याम सुन्दर बिशोई)  सहायक कलेक्टर एव  उपखण्ड अधिकारी  चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>